

## फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्रीमती बबलीबाई  
किस्म मुकदमा - 136 भू.रा.अधि.

विपक्षी :- श्रीमती कमलाबाई  
पत्रावली संख्या : 11/24  
जीसीएमएस : 2024/58

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 20.09.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार घासा से रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहे। उभय पक्षकारान को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम राधीबाई पुत्री रूपलाल गलत अंकित होना बताया जिसे दुरुस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। अधिवक्ता विपक्षी सं. 1 से 10 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर नाम संशोधन किये जाने पर सहमति व्यक्त की। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति, 100/- स्टाम्प पर स्वयं का शपथ पत्र की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र दस्तावेज में प्रार्थीया का नाम बबलीबाई पुत्री रूपलाल अंकित है। तहसीलदार घासा द्वारा भी रिपोर्ट पेश कर राधीबाई एवं बबलीबाई दोनों को एक ही महिला होना बताया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार घासा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीयां का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"><b>-: आदेश :-</b></p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा जावड पटवार हल्का जावड की आराजी नम्बर 1639 से 1641, 1647 से 1653, 1658, 1705 से 1708, 2124 से 2127, 2130, 2131, 2136, 2138, 2140, 2142, 2147, 2151, 2153, 2170, 2171, 5198, 5212 किता 32 रकबा 3.4722 हेक्टेयर भूमि में खातेदार राधीबाई पुत्री रूपलाल के बजाय राधीबाई उर्फ बबलीबाई पुत्री रूपलाल संशोधन किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"><b>(मनसुख राम डामोर)</b> सहायक कलक्टर <b>(SDO)मावली</b></p>	

